"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2016—भाद्रपद 2, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर
विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 8 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक 1254/V-17-01/2004. — छ. ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का 39) की धारा 2-जी, धारा 7(2) (ए) एवं धारा 12 (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ अभिरक्षा में व्यक्ति की विधिक सहायता स्कीम, 2003" में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

संशोधन

उक्त स्कीम की

1. कंडिका-8 में अंक "1000/- के स्थान पर 3000/-" प्रतिस्थापित किया जाए.

No./1254/V-17-01/2004. — In exercises of the powers conferred by clause (g) of Section 2 read with clause (a) of sub-section (2) of Section 7 and Section 12 (g) of the Legal Service Authorities Act, 1987, the State Authority hereby makes the following amendments in the "Legal ASssistance to Person in Custody Seheme, 2003", namely :-

AMENDMENT

1. In colum No. 8- in place of figure "Rs. 1000/- figure Rs. 3000/-" shall be substituted.

आदेशानुसार,

हस्ता./-
(रजनीश श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.